किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)
Affiliated to Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)
Email - kgcraigarh1958@gmail.com www.kgcollegeraigarh.ac.in

क्रमांक /399/स्था./कैंटिन/2025 रायगढ़, दिनांक– 05/07/2025

//निविदा दर आमंत्रण सूचना//

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ छ.ग. के स्वामित्व में परिसर स्थित कैंटिन के संचालन हेतु वर्ष 2025–26 में 01 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक 11 माह ठेके पर दिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक व्यक्ति निविदा प्रसारण सूचना से 05/07/2025 से 21/07/2025 तक कार्यालयीन समय में वेबसाईट https://www.kgcollegeraigarh.ac.in/ में उपलब्ध निविदा प्रपत्र उपलब्ध कराये गये शर्तों के अधिन निविदा दर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/व्यक्ति सह उपस्थित होकर बंद लिफाफे में जमा करना अनिवार्य है।

निविदा दिनांक 22/07/2025 को शायं 03 बजे निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

1. कैंटिन भवन आकार – 159.89 वर्ग मीटर
2. न्यूनतम किराया – रू. 5000/– प्रति माह
3. अमानत राशि – रू. 25000/– (पच्चीस हजार)

नोट–

1. निविदा प्रपत्र बंद लिफाफे में ही स्वीकार होगा।
2. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त किये जाने के संबंध में प्राचार्य एवं कैंटिन संचालन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
3. नियम एवं शर्तों के उल्लंघन होने अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसी भी तरह के नियमों मे संशोधन किया जा सकता है।
4. निविदा स्वीकृति पश्चात 1 सप्ताह में अनुबंध निश्पादन एवं कैंटिंन का संचालन अनिवार्यतः प्रारम्भ करना होगा।

प्राचार्य
किरोड़ीमल शा. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय
रायगढ़ (छ.ग.)

प्रति,

प्राचार्य,

कि.शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय

रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :– केंटीन संचालन हेतु प्रस्तावित किराया (निविदा दर)।

संदर्भ :– आपकी निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक .... दिनांक ....

----0----

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित निविदा आमंत्रण सूचना के तहत महाविद्यालय परिसर में केंटीन संचालन हेतु मेरे द्वारा निर्धारित प्रस्तावित किराया (निविदा दर) निम्नानुसार है :–

1. निविदा दाता का नाम – ....
2. पिता/पति का नाम – ....
3. पूर्ण पता – ....
....

(मतदाता परिचय पत्र का क्रमांक .... दिनांक ....)

4. केंटीन की स्थिति – महाविद्यालय परिसर कि. शा. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)
5. केंटीन संचालन हेतु मेरे द्वारा प्रस्तावित किराया (निविदा दर) – राशि रू. ....
शब्दों में ....

उपरोक्तानुसार केंटीन संचालन हेतु मेरी निविदा दर प्रस्तुत है। इसमें किसी प्रकार की असत्य जानकारी पाए जाने पर मेरी निविदा निरस्त कर दी जावे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

नोट :– मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति संलग्न।

हस्ताक्षर

दिनांक – ....

नाम – ....

पता – ....

....

....

कार्यालय प्राचार्य

कि. शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

केंटीन संचालन हेतु नियम एवं शर्तें

1) कि. शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) के आधिपत्य में परिसर स्थित केंटीन को स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 (म.प्र.) के प्रावधानों एवं छ.ग. शासन, कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जारी गाईड लाईन के आधार पर किराये में दिया जाना है।
2) ऑफर (निविदा) के साथ निर्धारित अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना होगा, अन्यथा ऑफर निरस्त समझा जायेगा।
3) प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम ऑफरदाता की अमानत राशि रोककर शेष व्यक्तियों की अमानत राशि ऑफर स्वीकृति के पश्चात् वापस कर दी जावेगी।
4) उच्चतम ऑफर स्वीकृति के पश्चात् किरायेदार स्वयं के व्यय से निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करेगा तथा पंजीयन करायेगा।
5) किरायेदार प्रत्येक 10 तारीख के भीतर किराया राशि जमा करेगा। अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देना होगा।
6) भवन की वार्षिक मरम्मत रंगाई, पोताई किरायेदार को स्वयं करना होगा, बिजली कनेक्शन एवं बिजली व्यय किरायेदार को स्वयं वहन करना होगा।
7) किरायेदार को किसी अन्य व्यक्ति को केंटीन किराये पर देने अथवा सबलेट पर देने का अधिकार नहीं होगा।
8) केंटीन में किसी प्रकार का रद्दोबदल प्राचार्य के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
9) किरायेदार को जिस तल में जिस साईज की केंटीन आबंटित की गई हो, उतने में ही उसको किरायेदारी का हक होगा। ऊपर तल पर संबंधित किरायेदार का दावा/अधिकार नहीं होगा।
10) किरायेदार के द्वारा निर्धारित समय पर किराया नहीं पटाने पर केंटीन से बेदखली की कार्यवाही की जा सकेगी।
11) उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर प्राचार्य बेदखली की कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।
12) विवाद की स्थिति में प्राचार्य, कि.शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
13) उक्त ऑफर दर के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।
14) केंटीन में खाद्य सामग्री/पदार्थ का विक्रय मूल्य रायगढ़ बाजार मूल्य से 25 प्रतिशत कम होना अनिवार्य है।
15) केंटीन में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का बायोडाटा महाविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा।
16) केंटीन एवं केंटीन परिसर की साफ–सफाई की जिम्मेदारी स्वयं केंटीन संचालक को वहन करना होगा।
17) केंटीन में किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य का उपयोग एवं वि क्र य सर्वथा वर्जित रहेगा।